Adl. Court
Gopalganj

No....01...../ 21-01-2021

From,

Judge-in-Charge Administration,
Civil Courts, Gopalganj.

To,

The State Commissioner Disability, Patna,Bihar.
Court of the State commissioner for Person with Disabilities,
Old Secretariat,Sinchai Bhawan Complex,
Patna-800015

Dated, Gopalganj, the 21st. January, 2021.

Ref:- Your Letter No. 1568/A.Ni.Co. dated 24-12-2020.

Sub:- Regarding submission of information regarding nominated special Court for cases related to Persons with Disability Act, 2016 in the Judgeship of Gopalganj.

Sir,

With reference to the subject noted above, most humbly and respectfully, I am humbly to inform that Court of Additional District and Sessions Judge-V, Gopalganj has already been designated as Special Court for the purpose of trial of all offenses under the Rights of Persons with Disabilities Act,2016 vide DJ's, Gopalganj Order No. 217A /2019 dated 23-11-2019(Copy enclosed).

This is for your kind information and the needful.

Yours faithfully,

22/1/21

In-Charge Administration,
Civil Courts, Gopalganj.

08/02/2021

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, GOPALGANJ

Order No..217..A/2019 dated 23.11.19

Vide Notification dated 14.10.2019 of the Law Department, Government of Bihar, Patna received vide the Hon'ble High Court, Patna letter no. 84/808-84/844 dated 05.11.2019, the Court of the Junior most Additional District and Sessions Judge of this Judgeship be designated as Special Court for the purpose of trail of all offences under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

Hence, In view of the above, Sri V.V.Gupta, Additional District and Sessions Judge-V, Gopalganj is hereby designated as Special Court for the purpose of trail of all offences under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

Inform all concerned.

M. No. 7152-54
23-11-19

District & Sessions Judge,
Gopalganj.
23/11/19

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, email - scdisability2008@gmail.com, website –www. scdisabilities.org

पत्रांक- 1568/आ0नि0न्या0

दिनांक- 24 दिसम्बर'2(

प्रेषक,

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निबंधक,
सभी जिला न्यायालय (सिविल कोर्ट),
बिहार।

विषय:- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 84 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष न्यायालय क विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) का क्रियान्वयन बिहार राज्य में किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा- 84 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन अपराधों के विचारण हेतु राज्य के प्रत्येक सत्र खंड के कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित की गई है (विधि विभाग, बिहार सरकार का ज्ञापांक-7369, दिनांक- 14.10.2019 संलग्न)। इस क्रम में निबंधक, सिविल कोर्ट, पटना के पत्र सं0-25528, दिनांक- 12.11.2020 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सं0-16 के न्यायालय को विशेष के रूप में अभिहित किया गया है। (पत्र संलग्न)

अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिव्यांग से संबंधित कई सारे मामले दायर किए गए हैं, जिसका निपटारा उपरोक्त वर्णित अधिनियम के अंतर्गत अभिहित न्यायालय के द्वारा ही सुनवाई की जानी है, इस क्रम में भवदीय के न्यायालय से अभिहित न्यायालय को वाद का स्थानांतरण किया जाना आपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि आपके न्यायालय में अभिहित न्यायालय की सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि वाद का स्थानांतरण यथाशीघ्र किया जा सकेगा।

अनुलग्नक-यथोक्त।

न्यायालय राज्य आयुक्त विकलांगजन संo

24.12.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता